न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 14 / 2016

प्रार्थी–	*बनाम*	**अप्रार्थीगण–**
भक्तिराम पुत्र रामधन जाति अग्रवाल निवासी गुड़ामालानी हाल पाली मारवाड़ तहसील गुड़ामालानी		1. रामस्वरूप पुत्र रामधन जाति अग्रवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ामालानी

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 499 दिनांक 30.08.2008 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र रामावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 25 / 09 / 2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 1717 मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 499 दिनांक 30.08.2008 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार कुल 9355.5 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जारी उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता व उत्तरदाता सं. 1 के संयुक्त स्वामित्व का एक भूखण्ड ग्राम पंचायत गुड़ामालानी की आबादी भूमि मे आया हुआ था जो पैतृक एवं अविभाजित था। अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित रूप से प्रभावित कर स्वंय को विवादित भूखण्ड का मालिक बताते हुए आलौच्य पट्टा विलेख जारी करवा लिया। उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड पर उत्तरदाता सं. 1 का कब्जा नही है तथा मौके पर यह भूखण्ड खाली पड़ा है, अप्रार्थी सं. 1 ने जब इस पट्टे के आधार पर निगरानीकर्ता के हिस्से वाले भूखण्ड पर कब्जा करने लगे एवं लोगो से समझाईस करवाने पर भी नहीं माने तथा कही कि उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया है तब ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे की प्रमाणित नकल प्राप्त की जाकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन कियां कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने मे विधि एवंत थ्यों की भारी भूल की है। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूखण्ड का निरीक्षण नहीं किया तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा काल्पनिक पडौस दर्शाये गये है जो मौके की वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते है। यदि भूखण्ड का निरीक्षण किया जाता तो अवश्य साबित हो जाता कि उक्त भूखण्ड निगरानीकर्ता व उत्तरदाता सं. 1 का पैतृक भूखण्ड है। विवादित पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया हैं जबकि इस नियम के तहत खाली भूखण्ड का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विवादित भूखण्ड मौके पर खाली पड़ा हैं। ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड का मौका निरीक्षण करने हेतु नियमानुसार तीन सदस्यों की कमेटी का गठन नहीं किया और न ही कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस भी विधि अनुसार प्रकाशित नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति मे भी विधि अनुसार नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। उक्त पट्टा विलेख 200/– रूपये प्रतिफल की राशि जमा करवाने पर जारी किया जाना अंकित किया गया हैं कि जबकि ग्राम पंचायत मे उक्त राशि जमा होने का केश बुक मे कहीं इन्द्राज नही हैं, ऐसी स्थिति मे प्रतिफल के अभाव मे स्वामित्व अंतरण का जो पट्टा जारी किया गया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा विलेख निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

4. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब मे निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 मूलतः सिंधासवा हरनियान का निवासी हैं जो व्यापार के सिलसिले मे गुड़ामालानी आकर ग्राम आबादी के खसरा नम्बर 1717 मे निवास करने लगा तथा वर्ष 2000 मे विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है एवं पक्का मकान बना लिया था। प्रार्थी भक्तिराम पटवारी के पद पर कार्यरत है जो आज से करीब 40 साल पूर्व ग्राम सिंधासवा मे अपने हिस्से की जमीन बेचकर पाली चला गया तथा पाली मे जमीन व प्लॉट लेकर मकान बना लिया तथा वहां निवास करने लगा। प्रार्थी का ग्राम गुड़ामालानी मे कभी भी आना जाना नहीं रहा है। ग्राम गुड़ामालानी की आबादी भूमि मे अप्रार्थी के रहवासी भूखण्ड को नियमितीकरण हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन दिया तथा ग्राम पंचायत द्वारा कमेटी द्वारा भूखण्ड का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई। ग्राम पंचायत कार्यालय मे मिसल सं. 499 कायम कर पूरी जांच एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया जिसे उप पंजियक कार्यालय गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर पंजीयन करवा लिया गया हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा विलेख को कूटरचित होने एवं विवादित भूखण्ड पैतृक कब्जा–स्वामित्व होने का कथन मनगढ़त बताया हैं तथा इसके समर्थन मे कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी का ग्राम गुड़ामालानी मे कोई भूखण्ड नहीं है तथा यह निगरानी मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों पर पेश की गई हैं तो खारिज फरमाई जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है जिसका आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का मौका निरीक्षण नहीं किया तथा न ही सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस प्रकाशित किया जिसके अभाव मे पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही दूषित होने से आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं। इस संबंध मे ग्राम पंचायत के अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 05.07.2008 को सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात दिनांक 20.07.2008 को उप सरपंच सहित दो वार्ड पंचों की मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई जिसमे अप्रार्थी के पक्ष मे

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नियम 157(2) के तहत नियमितीकरण की सिफारिश की गई। मौका निरीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जाकर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया जिस पर निर्धारित अवधि मे कोई आपत्ति पेश नहीं होने पर दिनांक 20.08.2008 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं। इसके अनुसरण मे पट्टा सं. 499 दिनांक 30.08.2008 जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हों कि भूखण्ड पैतृक स्वामित्व का हैं। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होना पाये जाने से खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
(ए.डी.एम.)